

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक:- ३२३२/११-सी-FP/UP/water/150368/2021, लखनऊ, दिनांक: मई १५, 2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
वित्रकूटधाम वृत्त,
बाँदा।

विषय:-

उ०प्र० जल निगम द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत सलैंया-नाथपुरा, लहुरा-काशीपुरा, धर्वरा-सिंजवाहा, शिवहर एवं कब्रई ग्राम समूह पेयजल योजना में पेय जल पाइप लाइन बिछाने हेतु जिला-महोबा में प्रभावित 12.4869 हेक्टर संरक्षित एवं 1.9665 हेक्टर आरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 14.4534 हेक्टर वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 375 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भ:-

इस कार्यालय का पत्रांक-2857/११-सी-FP/UP/water/150368/2021, दिनांक 08.04.2022 एवं आपका पत्रांक-2716/३३-१, दिनांक 10.05.2022

महोदय,

इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा इंगित की गयी कमियों का निराकरण आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त ऑनलाइन व हार्डकापी में पुनः निम्नलिखित कमियों/अभिलेखों का आभाव पाया गया:-

- प्रस्ताव में पूर्व का त्रुटिपूर्ण ऑनलाइन पार्ट-१ संलग्न किया गया है। अतः इसे प्रस्ताव से पृथक् कर संशोधित ऑनलाइन पार्ट-१ प्रस्ताव में संलग्न करें।
- प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष दी जाने वाली गैर वनभूमि के सम्बन्ध में शासन के पत्रांक- वी०आई०पी०-२३/१४-२-२०१९-१९० जी/२०१८, दिनांक 28.06.2019 के क्रम में उपजिलाधिकारी एवं प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र पुनः संलग्न नहीं है।
- प्रस्ताव में प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष के पत्रांक-1428/११-सी, दिनांक 16.12.2020 के क्रम में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का DSS Analysis से सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र पुनः संलग्न नहीं किया गया है।
- भू-स्वामित्व वाले विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्र के क्रम में पत्राचार संलग्न किया गया है, जबकि अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। अतः संलग्न करें।
- प्रस्ताव के पृष्ठ सं०-२१ पर संलग्न प्रमाण पत्र एवं पृष्ठ सं०-४० से ५२ पर संलग्न किये गये गैर वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण के प्राक्कलन में गैर वनभूमि को वनभूमि दर्शाया गया है तथा प्राक्कलन में शीर्षक भी गलत अंकित है। अतः सही कर संशोधित प्राक्कलन प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन भाग-२ में यथास्थान पर अपलोड करें।
- प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध करायी जा रही गैर वनभूमि का उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न नहीं किया गया है।
- प्रस्ताव में प्रभावित वनभूमि के सापेक्ष दुग्ने अवनत वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण का उपयुक्तता प्रमाण पत्र, प्राक्कलन, Geo Referenced Digital Map, SoI Toposheet & kml file ऑनलाइन भाग-२ में अपलोड नहीं है।
- प्रस्ताव में संलग्न पेनझाइव में प्रस्तावित की के०एम०एल० फाइल अपलोड नहीं है। अतः अपलोड करें।
- प्रस्ताव में संलग्न पेनझाइव में अपलोड की गयी अवनत वनभूमि की के०एम०एल० फाइल त्रुटिपूर्ण है एवं ऑनलाइन भाग-२ में अपलोड की गैर वनभूमि की के०एम०एल० फाइल पर ओवरलैप कर रही है। अतः प्रस्ताव के साथ संलग्न पेनझाइव में वृक्षारोपण हेतु चयनित अवनत वनभूमि एवं गैर वनभूमि की सही के०एम०एल० फाइल अपलोड करें।
- उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव की पूर्ण पी०डी०एफ० फाइल पेनझाइव में अपलोड कर तीनों प्रस्तावों में संलग्न करें तथा पेनझाइव में अपलोड किये गये अनावश्यक अभिलेखों को डिलिट करें।

अतः कृपया किसी कार्यदिवस में अपने कार्यालय प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्ताव की 03 प्रतियों प्राप्त कराकर इग्निट कमियों का निराकरण के पश्चात् पूर्ण संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को 03 प्रतियों में उपलब्ध करायें, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

h/s

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक:- 3232 / 11-सी-FP/UP/water/150368/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रभागीय वनाधिकारी, महोबा वन प्रभाग, महोबा।
2. अधिशासी अधिकारी, जल निगम ग्रामीण, महोबा।

h/s

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

h/c

आपीलप वन भव्यत्वकृ प्रतिष्ठ धारा हृत, जाँद (उष्टु)।

पत्रांक- 3235 / 33-1/ दिनांक जाँद मह 18 2022

प्रतिलिपि - प्रभागीय वनाधिकारी महोबा वन उपाधि महोबा को इस निर्देश के सापे प्रेषित कि उपराकृत आपीलप का निराकृतण कुर संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय की 04 उपराकृति में इस कार्यालय की उपलब्धि कराना सुनिश्चित करें। तथा किसी जापरिवर्तन में आपीलप के प्रतिनिधि के द्वारा उत्तुष्ट की 03 उपराकृति कार्यालय मुख्य वन भव्यत्वकृ / नोडल अधिकारी के साम्म करें।

अग्रेसित।

प्रभागीय वन संरक्षक
कार्यालय वन संरक्षक
विकासन वृक्षालय वृक्षालय

वन वन भव्यत्वकृ
प्रतिष्ठ धारा हृत, जाँद